प्रेस विज्ञप्ति

जनपद भदोही

दिनांक- 09.09.2026

◆"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान

◆ अभियुक्त अवधेश सिंह को धारा 356 व 379 भा0दं0सं0 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

◆वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा

दिनांक 05.02.2009 को समय करीब 09:00 बजे रात, वादी मुकदमा असनांव बाजार से अपने सोने व चांदी की दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से अपने रिश्तेदार दिलीप सोनी के साथ असनांव बाजार से बभनौटी रोड पकड़कर घर वापस जा रहा थें। तभी पीछे से हीरो-होंडा मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों द्वारा वादी की जेब से चाबी, बैग, नगदी, डिबिया और अन्य सामान छीन लिया और फरार हो गए। विवेचना के दौरान इस घटना में अभियुक्त अवधेश कुमार सिंह उर्फ अवधेश कुमार पुत्र विनायक सिंह का नाम प्रकाश में आया था। उक्त प्रकरण में थाना औराई, जिला भदोही में अपराध संख्या- 163/2007 धारा 356 व 379 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम में एवं *श्री अभिनव त्यागी* पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय से अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन पक्ष की एपीओ ब्रह्ममूर्ति यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 09.09.2026 को श्री आशीष कुमार सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही-ज्ञानपुर द्वारा अभियुक्त अवधेश कुमार सिंह उर्फ अवधेश कुमार पुत्र विनायक सिंह ग्राम पचौरा थाना चील्ह जनपद मिर्जापुर को धारा 356 एवं 379 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड का कोई भी भाग अदा न करने पर उसे 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।